प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक--21फ / सं0रो0 / ए0ई0एस0 / जे0ई0 / डी0सी0एच0 / 2015 / दिनांक– 8 नवम्बर, 2016

विषयः–शासन की ए0ई0एस0 / जे0ई0 रोग नियंत्रण रणनीति के अन्तर्गत बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में डिप्लोमा–इन–चाइल्ड हेल्थ(डी0सी0एच0) दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को वर्ष 2017 सत्र हेतु नामित किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि ए0ई0एस0 / जे0ई0 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन की रणनीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 02 वर्षीय डिप्लोमा–इन–चाइल्ड हेल्थ पाठ्यक्रम हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को नामित किया जाता है । विगत वर्षो की भांति वर्ष 2017 सत्र हेतु भी इच्छुक चिकित्साधिकारियों को बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में 02 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किया जाना है।

उक्त प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मानक संबंधी शासन के पत्र संख्या– 71 / 2716 / पॉच–8–2016 –म(178) / 2012, दिनांक 07.10.2016 की प्रति एवं इच्छुक चिकित्साधिकारियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि जनपद में आपके अधीन चिकित्साधिकारियों को अवगत कराते हुये इच्छुक चिकित्साधिकारियों के आवेदन पत्रों में अंकित की गयी सूचना एवं घोषणाओं का परीक्षण कर आवेदित चिकित्साधिकारियों की विगत 03 वर्षो यथा वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 की सत्यापित गोपनीय प्रविष्टि मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुये अपनी संस्तुति सहित विलम्बतम् दिनांक–31.12.2016 तक निदेशक / राज्य कार्यक्रम अधिकारी, ए0ई0एस0 / जे0ई0, संचारी रोग, स्वास्थ्य भवन लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। दिनांक–31.12.2016 के उपरान्त किसी भी आवेदन प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

निदेशक / राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
ए0ई0एस0 / जे0ई0,उ0प्र0

पत्रांक–21फ / सं0रो0 / ए0ई0एस0 / जे0ई0 / डी0सी0एच0 / 2015 / 3269-72 तद्दिनांक– नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–8
3. निदेशक, टेक्निकल, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त सूचना एवं संलग्न प्रपत्र को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवेदित चिकित्साधिकारियों की चाही गयी वांछित वर्ष की गोपनीय प्रविष्टियों को सत्यापित कर ससमय उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक / राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
ए0ई0एस0 / जे0ई0,उ0प्र0

वर्ष 2017 सत्र हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को बी0आर0डी0मेडिकल कालेज गोरखपुर में द्विवर्षीय डी0सी0एच0(डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ) हेतु आदेवक प्रपत्र

1. चिकित्साधिकारी का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्म तिथि.....आयु(07.10.2016 तक).....
4. वरिष्ठता क्रमांक.....
5. ई0–मेल आई0डी0.....मो0नं0.....
6. प्रथम नियुक्ति के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि.....
7. आरक्षण श्रेणी (जो लागू हो उसमें टिक करें)
   अनुसूचित जाति ..... अनुसूचित जनजाति..... अन्य पिछडा वर्ग..... सामान्य.....
8. अभ्यर्थियो की 03 वर्ष की निरन्तर ग्रामीण सेवा अवधि का विवरण.....
9. वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 की गोपनीय प्रविष्टियों की प्रति जो अपर निदेशक द्वारा सत्यापित हो संलग्न की जाये..... .....
10. क्या विगत वर्ष/वर्षों में विभागीय पी0जी0 डिप्लोमा में अध्ययन हेतु चयन किया गया था एवं प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया गया था, यदि हॉ तो कब तक?
11. आवेदित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि –
    - वह डी0सी0एच0 प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त 05 वर्ष की अवधि तक ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों में अपनी सेवायें प्रदान करता रहेगा।
    - वह प्रशिक्षणोपरान्त 05 वर्ष की अवधि के भीतर यदि चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण किन्हीं कारणों से ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग से प्रभावित जनपदों के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद में हो जाता है तो सम्बन्धित चिकित्साधिकारी अपने नियंत्रण अधिकारी को 05 वर्ष तक की अवधि पूर्ण होने तक ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों में सेवा देने के शपथ पत्र के विषय में अवगत करायेगा। ऐसा न करने की दशा में उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी अथवा यदि डिप्लोमा कोर्स करने के उपरान्त शासकीय सेवा छोड़ देता है तो उपरोक्त वर्णित दोनों ही दशाओं में प्रशिक्षण कार्य में देय वेतन के बराबर धनराशि विभाग को प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी।

–घोषणा–

1. मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनायें/विवरण एवं उसके संलग्नक मेरे निजी ज्ञान में सत्य है। इसमें किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गयी सूचना/अभिलेख त्रुटि पूर्ण पाये जाते है अथवा में शासन द्वारा निर्धारित किसी शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण नहीं करता हूँ तो मेरे आवेदन का निरस्त करते हेतु विभाग स्वतंत्र होगा तथा मैं इस हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं करूंगा।
2. मैं प्रशिक्षण के उपरान्त लगातार पॉच वर्ष तक ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों में तैनाती हेतु सहमति व्यक्त करता हूँ तथा ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगियों को उपचार प्रदान करने में सहयोग प्रदान करूंगा।

प्रमाणित किया जाता है कि डा0.....द्वारा उपरोक्त प्रपत्र में दिये गये सभी तथ्यों का मेरे द्वारा भलीभांति अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है। डा0..... .दिनांक– .....से निरन्तर शासकीय सेवा में सेवारत है। इनकी सेवायें अभिलेखीय आधार पर संतोषजनक रही है तथा अभिलेखों के आधार पर इनके विरूद्ध ऐसे कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं हैं, जिसके कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में कोई बाधा हो।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी
के हस्ताक्षर एवं चिकित्सालय का नाम